Closure of level crossings due to elevation of Railway Tracks

2606. SHRI GOVINDRAM MIRI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether all the metre gauge railway lines in the Central and Western Railway Divisions have been converted into broad gauge railway lines;

(b) whether broad gauge tracks are elevated to 4-5 feet above the height of metre gauge track; and

(c) whether all railway crossings which were working regularly have now been closed due to elevation of railway track?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SURESH KALMADI): (a) to (c) No, Sir

पदोन्नतियों में आरक्षण

2607. **प्रो0 विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने अपने इस निर्णय को दोहराया है, कि पदोन्नतियोंमें आरक्षण उचित नहीं हैं, और

(ख) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां।

उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ तथा अन्य बनाम वीरपाल सिंह चौहान के मामले में, जिसका संबंध मुख्यतः सामान्य उम्मीदवार बनाम आरक्षण कोटे के अतंर्गत पदोन्नत रेलवे गार्डो की वरिष्ठता नियत करने के मुद्दे से हैं, अपना मत पुनः दोहराया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय के अंत में यह टिप्पणी की कि वह इंदिरा साहनी के मामले में समर्थित किए गए सिद्धान्तों को दोहराने के लिए स्वयं को विवश महसूस करता है कि अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत पदोन्नति में आरक्षण उपलब्ध करवाना औचित्यपूर्ण प्रमाणित नहीं होता है।

(ख) रेलवे बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय में एक पुनर्विलोकन याचिका दायर की है।

मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा संबंधी सर्वेक्षण

2608. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा की क्षमता का आकलन करने के लिए कोई राज्य स्तरीय सर्वेक्षण करवाया गया है,

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामों तथा इस संबंध में हुई प्रगति का क्या ब्यौरा है,

(ग) क्या सरकार राज्य में गैरसरकारी क्षेत्र के अंतर्गत पवन चक्कियां स्थापित करने का विचार रखती हैं,

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ड़) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पवन संसाधन आकलन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में मूलतः पांच पवन मानीटरिंग स्टेशनों की स्थापना की गई थी। इनमें से जममोदरानी और खेड़ा में पवन विद्युत उत्पाइन के लिए पहले ही संभावना का पता लगा लिया गया है। राज्य में दस अन्य स्टेशनों की स्थापना के कार्य को हाथ में लिया गया है।

(ग) से (ड़) राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र द्वारा पवन विद्युत उत्पादन के लिए एक आकर्षक नीति की घोषणा की है। राज्य में पवन ऊर्जा परिसम्पत्तियों (इस्टेट्) के विकास के लिए एक संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी भी स्थापित की गई है। 2.7 मेवा. निजी क्षेत्र क्षमता पहले ही स्थापित कर ली गई है। इसके अलावा उपयुक्त स्थलों की पहचान किए जाने और निजी क्षेत्र परियोजनाओं को अंतिम रूप दे दिए जाने पर आगे और क्षमता संयोजन निर्भर करेगा।

भारत-अमरीका समझौता

2609. **श्री अनन्तराश देवशंकर दवे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत और अमरीका ने देश में ऊर्जा के प्रगामी विकास हेतु कोई समझौता किया है,

(ख) यदि हां, तो इस समझौते का ब्यौरा क्या है,

(ग) गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, और

(घ) किन-किन कंपनियों के साथ ऐसे समझौते किए गए हैं और किस प्रकार से सहायता दी गई है?

गैर –पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) और (ख) विद्युत मंत्रालय ने संयुक्त राज अमेरिका के ऊर्जा विभाग के साथ 13 जुलाई, 1994 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन में दोनों पक्षों के बीच परामर्श करने हेतु ऊर्जा पर एक उप-मंत्रालयी कार्यकारी ग्रुप की स्थापना की परिकल्पना है।

(ग) और (घ) अपांरपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के सौर ऊर्जा केन्द्र के संयुक्त राज अमेरिका के ऊर्जा विभाग की नेशनल रिन्युएबल एनर्जी लेबोरेटरी के साथ और तापीय और प्रकाशवोल्टीय उत्पादों के परीक्षण, गैर-स्वामित्व वाली वैज्ञानिक सूचना के आदान-प्रदान सौर विकिरण डाटा संग्रहण, विश्लेषण और प्रसार, भारत तथा संयुक्त राज अमेरिका दोनों देशों में अक्षय ऊर्जा सूचना नेटवर्को के बीच सम्पर्को की स्थापना आदि क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन पर 21.12.94 को हस्ताक्षर किए गए।

इस मंत्रालय द्वारा इलैक्ट्रिक पावर रिसर्च इस्टीट्यूट (ई पी आर आई) संयुक्त राज अमेरिका के साथ पारस्परिक हित के लिए अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के आकलन, विकास और प्रदर्शन के लिए दिनांक 13.02.95 को एक अन्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इस उद्देश्य के लिए भार में उन्नत लागत-प्रभावी प्रकाशवोल्टीय, पवन और बायोमास रूपांतरण प्रौद्योगिकियों को लगाने के कार्य में तेजी लाने के लिए दोनों ही ओर से संस्थाओं, एजेंसियों और उद्योगों द्वारा संयुक्त प्रयास किए जाएंगे।

इसके अलावा दोनों देशों के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कम्पनियों के बीच भी संयुक्त उद्यम समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

Allotment of land under the Rohini Residential Scheme

2610. DR. MURLI MANOHAR JOSHI:
SHRI TRILOKINATH CHATURVEDI:

Will the Minister of URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the present status of allotment of land to various categories of applicants who had registered under the Rohini Residential Scheme and the number of plots allotted in each category during the past three years; and

(b) the number of persons in each category in the waiting list and by when Government propose to provide land to all the registered applicants of the above scheme?

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPTT. OF URBAN DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI R. K. DHAWAN): (a) The present status of allotment of land to various categories of applicants who had registered under the Rohini Residential Scheme and the number of plots allotted in each categorty during the past three yeas is as under:—

	Category			
	MIG	LIG	Janta/EWS	Total
Total No. of registrants	25,889	38,105	18,390	82,384
No. of plots allotted during the last 3 years:				
1992-93	—	—	—	—
1993-94	—	—	—	—
1994-95	466	—	184	650
Allotments made	10,860	17,109	13,857	41,826'
Registration cancelled	—	—	—	1,612